न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5298/2003/हनुमानगढ</u>

1.श्यामलाल पुत्र टेकचन्द्र उर्फ टेकू जाति ब्राहमण निवासी नोहर जिला हनुमानगढ

– अपीलार्थी

बनाम

1.बृजलाल पुत्र पूरनमल जाति ब्राहमण निवासी नोहर
2.परमानन्द
3.बाबूलाल
4.मोहनलाल
5.किशनलाल पुत्रगण पूरनमल
6.बसन्ती बेवा पूरनमल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी नोहर जिला हनुमानगढ
3.राजस्थान सरकार

– प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 3

निर्णय

दिनांक 11.02.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–09–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 लगायत 6 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगगण एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर ढाणी चारनान स्थित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 23बीघा 01बिस्वा भूमि बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी टेकचन्द, पूर्ण व दानाराम पिसरान लूणाराम खातेदार दर्ज थे तथा बाद फौत टेकचन्द उक्त भूमि का उनका इकलौता पुत्र प्रतिवादी संख्या–1 श्यामलाल व पूरन व दाना बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हुए। दानाराम वर्ष 1966 में कंवारे ही लाऔलाद करीब 40वर्ष की आयु में फौत हो गये। बाद दानाराम की फौतगी उक्त आराजी पूरनमल व प्रतिवादी संख्या–1 श्यामलाल आधे–आधे हिस्से के हकदार हुए। पूर्णमल का वर्ष 1980 में देहान्त होने के पश्चात् उनके वारिसान वादीगण आधे हिस्से के एवं प्रतिवादी आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादीगण के दक्षिण व प्रतिवादी संख्या–1 के उत्तरी हिस्से की भूमि काश्त करते है। प्रतिवादी ने दिनांक 3–2–1983 की फर्जी वसीयत से अवैध इन्तकाल दर्ज करवाकर दानाराम के हक व हिस्से को अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर काबिज हो जाना चाहता है। अतः वादीगण को विवादित आराजी के आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम अनुसार 2/3 हिस्से का अलग खाता दर्ज किये जाने की प्रार्थना की। तत्पश्चात् वादीगण की ओर से जवाबुल जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे एवं जवाबुल जवाब के आधार पर अनुतोष सहित दस तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय

दिनांक 28–12–2002 से वादी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए वादीगण को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दक्षिणी हिस्सा वादीगण के खाते एवं उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 के खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. येाग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने अपना वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी श्यामलाल के पक्ष में स्वर्गीय दानाराम द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 15–6–1966 फर्जी है, वसीयत कोशून्य करार देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उनका कथन है कि वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा चुका है एवं उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रत्यर्थीगण को प्रारम्भ से ही है विपक्षी वाद प्रस्तुत करने से एस्टोप्ड है। उनका कथन है कि दानाराम के पूरनमल व टेकचन्द के अलावा दो भाई राधाकिशन व हेतराम भी है, जो फौत हो चुके है एव ंउनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिस कारण भी वाद खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 के निर्णय में वसीयतनामा दिनांक 15–6–1966 को साबित नहीं मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में महत्वपूर्ण कानूनी भूल कारित की है तथा विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम तनकी संख्या–5 से 9 पर किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना आक्षेपित निर्णय व डिकी पारित किया गया है।

उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किये जाने से उनके द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों व डिक्री को निरस्त किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने स्वर्गीय दानाराम की तथाकथित वसीयत दिनांक 15-6-1966 के आधार पर दानाराम के हिस्से की भूमि का खातेदार होना कथन किया है परन्तु दानाराम ने कभी भी उक्त भूमि की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में नहीं की थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श-डी-1 में चक-20 व 22एनटीआर एवं रिहायशी मकान की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना अंकित है, खसरा नम्बर 122 की भूमि की वसीयत करना अंकित नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत को साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं करवाया है तथा वसीयत का गवाह श्रीनिवास थिरानी ने अपनी साक्ष्य में यह कहीं भी कथन नहीं किया है कि दानाराम ने अपनी स्वेच्छा से वसीयत की थी तथा वसीयत किस किस भूमि की गयी थी। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में अंकन करने से अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 122 रकबार 23बीघा 01बिस्वा भूमि में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा है शेष 1/2 हिस्सा वादीगण प्रत्यर्थीग्ण का है। उनका कथन है कि वादीगण ने कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर समवर्ती विधिसम्मत्

निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया।

6. पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर के न्यायालय में वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 6 ने विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 23बीघा 01बीघा भूमि बाबत् आधे हिस्से की घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रतिवादी अपीलार्थी एवं सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में कायम तनकीयात पर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त निर्णय दिनांक 28–12–2002 से अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में खाते विभाजन के वाद में बिना प्राथमिक डिक्री निर्मित किये एवं बगैर विभाजन प्रस्ताव के सीधे ही खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों बहामी बंटवारे की पुष्टि हुए बिना एवं बहामी बंटवारा प्रमाणित कराये बिना केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार पर बहामी बंटवारे की पुष्टि करते हुए अलग खाता कायमी का निर्णय पारित किया गया है, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से विधिसम्मत् होना नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत बाबत् भी दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गलत रूप से विवेचना की गयी है। वसीयत सादे कागज पर भी हो सकती है, जिसे रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयत की वैधता का परीक्षण करना एवं मूल वाद में वसीयत का क्या प्रभाव होगा, इस बिन्दू को देखा जाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी प्रस्तुत

प्रकरण में मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–9 अनुसार आया स्वर्गीय दानाराम, टेकचन्द, पूर्णमल के दो भाई स्वर्गीय राधाकिशन व स्वर्गीय हेतराम भी थे, जिनके वारिसान को मूल वाद में पक्षकार नहीं बनाया। इस तनकी पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं की गयी जबकि इस बिन्दू पर जांच आवश्यक थी एवं सभी विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर निर्णय पारित होना आवश्यक था। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी सभी तनकीयात पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार तनकीवार विवेचन नहीं कर अति संक्षिप्त विवेचन करते हुए तनकी संख्या–5 से 9 को निर्णीत किया गया है, जिसे विधिसम्मत् होना नहीं माना जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यालालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को उक्तानुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–12–2002 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पैरा संख्या–6 में वर्णित विवेचनानुसार उभयपक्ष को पुनः सुनकर विधिसम्मत् निर्णय छः माह मे पारित करें।

8. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, राजस्व नोहर के न्यायालय में दिनांक..... को उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष